

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 978/2024
अनवान : -

1. बलराम पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 12/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के खाता 48/51 की कुल 25.9850 हैक्ट भूमि में 2996/129925 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मलाराम पुत्र निकुराम दर्ज है जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम बलराम पुत्र निकुराम है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की व साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मलाराम पुत्र निकुराम दर्ज है जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम बलराम पुत्र निकुराम है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।


हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के खाता 48/51 की कुल 25.9850 हैक्ट भूमि में 2996/129925 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मलाराम पुत्र निकुराम दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत ललाना उतरादा द्वारा प्रस्तुत तस्दीक में वादी का नाम बलराम पुत्र निकुराम है। वादीगण के भाई नानूराम, देवीलाल, अमरसिंह व बेगाराम द्वारा प्रार्थी का नाम मुताबिक दस्तावेजात करने हेतु सहमति पेश

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के खाता 48/51 की कुल 25.9850 हैक्ट भूमि में 2996/129925 हिस्सा भूमि में वादी का नाम मलाराम पुत्र निकुराम के स्थान पर बलराम पुत्र निकुराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरुस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 978/2024

अनवान : -

1. बलराम पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त०
अधि० 1955 प्र०स० 978 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक -12/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के खाता 48/51 की कुल 25.9850 हैक्ट भूमि में 2996/129925 हिस्सा भूमि में वादी का नाम मलाराम पुत्र निकुराम के स्थान पर बलराम पुत्र निकुराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरुस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर